



कार्यालय- भंडार क्रय अधिकारी
उ०प्र० पं०दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001

टेण्डर संख्या 24/भं०क्र०अ०/2018

दिनांक 11.10.2018

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था के लिये कार्य करने वालों से मुहरबंद निविदायें दिनांक 20.10.2018 के अपरान्ह 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिनांक अपरान्ह 03:00 बजे निविदादाताओं तथा समिति के समक्ष खोली जायेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था हेतु संबन्धी विस्तृत विवरण एवं शर्तें तथा निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय केन्द्रीय भण्डार से दिनांक 12.10.2018 से रू० 1000/- मात्र जमा करके प्राप्त किया जा सकता है, अथवा वेबसाईट www.upvetuniv.edu.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।

भण्डार क्रय अधिकारी

निविदा की शर्तें

1. टेण्डर निविदा :गुल्क रू0 1000.00, नकद/बैंक ड्राफ्ट
2. धरोहर राशि रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर के रूप में वित्त अधिकारी, वेटेरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा (Finance Officer, Veterinary University, Mathura) के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उनका टेण्डर निरस्त समझा जायेगा।
3. टेण्डर प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रकाशित निविदा में दर्शित (दोपहर 01:00 बजे तक) होगी।
4. निविदा खोलने की तिथि प्रकाशित निविदा में दर्शित दिनोंक को अपरान्ह 03:00 बजे माननीय कुलपति महोदय के समिति कक्ष में खोली जायेगी।
5. टेण्डर निविदा प्रत्येक वस्तु की दो अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में डालना आवश्यक है। उक्त लिफाफों पर निम्नलिखित लिखा होना आवश्यक है।
 - A. तकनीकी विड (Technical Bid)
 - B. वित्तीय विड (Financial Bid)
6. कृपया अवगत हों कि आप द्वारा प्रस्तुत दरें अनुमोदित होने की दिनांक से आगामी एक वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होंगी। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरान्त उक्त कार्य प्रस्तुत दरों पर आगामी चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
7. सन्तोषजनक आपूर्ति न होने पर ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
8. समस्त निविदा को स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
9. मुहरबंद निविदायें नियत समय व दिनांक तक भंडार क्रय अधिकारी कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जानी चाहिए।
10. किसी भी वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मथुरा रहेगा।
11. खान-पान हेतु समस्त क्रोकरी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा इसका कोई अतिरिक्त शुक्ल देय नहीं होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को खान-पान हेतु एफ0एस0एस0ए0आई0 का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
13. खान-पान हेतु समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।

एतद्वारा विक्रेता यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दरें उसके संज्ञान में सर्वाधिक प्रतियोगित्मक व न्यूनतम हैं व मांगे गये विवरण के अनुरूप होने वाली वस्तुओं की दरें ही प्रस्तुत की गई हैं। सम्बन्धित कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समस्त शर्तें मुझे पूर्णत् स्वीकार हैं। साथ ही यह सहमति भी देता है कि आपूर्ति की गई वस्तुओं के निम्न गुणवत्ता के होने की दशा में क्रेता द्वारा क्रय की पूर्ण सामग्री को या उसके ऐसे भाग को जिसे क्रेता उपयुक्त समझे, विक्रेता अपने खर्चे पर विश्वविद्यालय भंडार से ले जायेगा व उसे उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं से बदलेगा।

दिनांक-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का पता व दूरभाष संख्या _____

प्रेषक,

सेवा में,

भण्डार क्रय अधिकारी,

उ० प्र० पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान,
मथुरा-281001

महोदय,

मैं/हम इस पत्र के साथ संलग्न निविदा शेड्यूल में दी गई सभी वस्तुओं/कुछ दर्शाई गई वस्तुओं की प्रस्तुत दरों पर आपूर्ति हेतु स्वीकृति के लिये निविदा प्रस्तुत करते हैं।

मैंने/ हमने निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश व सुझाव तथा टेन्डर शेड्यूल व निविदा परिशिष्ट में दी गई शर्तों व प्रतिबंधों को भली प्रकार पढ व समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुयें आपकी मांग के अनुरूप ही होगी।

इस पत्र के संलग्नक के रूप में बाद के पेज लगाये गये हैं। तथा ये पेज इस निविदा की मांग है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-

पता-

फोन नं०-

दिनांक-

कार्यालय- भंडार क्रय अधिकारी
उ०प्र० पं०दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001

तकनीकी बिड

(प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था)

1. निविदाकर्ता एजेन्सी/व्यक्ति का नाम तथा पता
2. फर्म का नाम
3. फोन नं०-
4. धरोहर राशि रू०, 8000.00 के बैंक ड्राफ्ट/एफ०डी०आर का विवरण
बैंक ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० संख्या- दिनांक- बैंक का नाम-
5. जी०एस०टी० के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति एवं विवरण
6. आयकर विभाग का पैन् नं०
7. एफ०एस०एस०आई० (FSSAI) की प्रमाणित प्रति

नोट-

1. पूर्णतः भरा हुआ तकनीकी बिड प्रपत्र प्रकाशित निविदा में दर्शित तिथि के अनुसार विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।
2. धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/एफ०डी०आर के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्त अधिकारी, वेटेरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा (Finance Officer, Veterinary University, Mathura) के नाम से आई०ओ०बी बैंक, वेटेरिनरी कॉलेज शाखा में कम से कम 12 महीने बैधता की देय होगी।
3. जी०एस०टी०/टिन नं०/पैन् नं०/एफ०एस०एस०आई० की स्वप्रमाणित प्रमाणित प्रति होनी आवश्यक हैं।
4. साझेदारी/स्वामित्व घोषणा की स्थिति में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता तथा मोबाइल फोन नं० स्पष्ट रूप से अंकित हो।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-

पता-

फोन नं०-

दिनांक-

कार्यालय- भंडार क्रय अधिकारी
उ०प्र० पं०दीनदयाल उपाध्याय प-नु चिकित्सा विज्ञान वि-विद्यालय
एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001

वित्तीय बिड

(प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था)

निविदाकर्ता एजेन्सी/व्यक्ति का नाम-

निविदाकर्ता एजेन्सी/व्यक्ति का पता एवं फोन नं०.

विवरण	दर (रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन) जी०एस०टी० सहित
सादा नाश्ता	
स्पेशल नाश्ता	
सादा लंच/डिनर	
स्पेशल लंच/स्पेशल डिनर	
सादा Intersessional Tea	
स्पेशल Intersessional Tea	
लंच पैकेट	
अतिरिक्त आईटम नाश्ता	
अतिरिक्त आईटम लंच एवं डिनर	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर सहित

प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था हेतु सामान्य शर्तें

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्री लाने एवं गैस सिलिन्डर भरवाने आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
2. निविदादाता के द्वारा विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला खाना ही उपलब्ध कराना होगा।
3. वर्तमान में खान-पान का टेन्डर (निविदा) मात्र एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा।
4. निविदादाता पूरे एक वर्ष की अवधि में खान-पान का कार्य स्वयं करेगा तथा किसी भी अन्य से सबलेट (सिकमी टेकेदार/किराये पर) नहीं करायेगा।
5. प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का कार्य के दौरान व उपरान्त परिसर में धूम्रपान व मदीरापान (मद्यपान) पूर्णतः वर्जित होगा।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का कार्य करने वाले निविदादाता के बेरा/चाकर संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिये। निविदादाता द्वारा अपनी मैस के बेरा/चाकरों के स्वास्थ्य की जाँच कराकर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था में कार्यरत निविदादाता के बेरा/चाकर साफ, स्वच्छ एवं एक समान वर्दी में होने चाहिये तथा व्यवहार कुशल होने चाहिये।
8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था में कार्यरत निविदादाता के बेरा/चाकर के अकस्मात् बीमार अथवा घटना, दुर्घटना हो जाने की स्थिति में उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी पूर्णतः निविदादाता की ही होगी।
9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का ठेका समाप्त हो जाने के उपरान्त निविदादाता को विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों/उपकरणों आदि को सही स्थिति में विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करना होगा।
10. निविदादाता किसी भी मैस के अन्दर किसी भी प्रकार का निर्माण/नवीनीकरण (रिनोवेशन) का कार्य बिना सक्षम अधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं करेगा।
11. खानों की गुणवत्ता को छात्रावास खान-पान समिति किसी भी समय जाँच कर सकती है। यदि खाने की गुणवत्ता से समिति संतुष्ट नहीं होती है तो अर्थदण्ड/ठेका निरस्त किया जा सकता है।
12. आवासित समस्त विद्यार्थियों को तीनों समय का खाना निर्धारित समय पर ही उपलब्ध कराना होगा अन्यथा आर्थिक दण्ड किया जा सकता है।
 1. सुबह का नाश्ता - प्रातः 07:00 बजे से 09:30 बजे तक
 2. दोपहर का खाना - दोपहर 12:30 बजे से 02:00 बजे तक
 3. रात्रि का खाना - सॉय 07:30 बजे से 09:30 बजे तक
13. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को निविदादाता/बेरा/चाकर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुँचती है तो उन्हें अर्थ दण्ड दिया जायेगा।
14. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था के बेरा/चाकर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
15. विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा।
16. खाना भोजन कक्ष (डायनिंग हाल) में ही परोसना होगा।
17. खाना गैस पर ही बनाना होगा।
18. निविदादाता विश्वविद्यालय प्रशासन की बिना अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कोई खाना सप्लाई नहीं करेगा।
19. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का कार्य सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
20. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था के ठेके से सम्बन्धित विवाद का स्थान मथुरा न्यायालय ही होगा।
21. यदि निविदादाता निविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है तो अर्थदण्ड/ठेका निरस्त किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोह में खान-पान व्यवस्था हेतु सामान्य शर्तें**क. सादा नाश्ता:-**

1. आलू पराठा, दही/इडली सांभर/मेथी पराठा, दही/मिक्स पराठा, दही/पूरी-सब्जी, दही/छोले-भटूरे/पोहा एवं ब्रेड बटर/ब्रेड आमलेट/बेइई कचौड़ी सब्जी सहित
2. चाय

ख. स्पेशल नाश्ता:-

1. आलू पराठा/इडली सांभर/मेथी पराठा/मिक्स पराठा/पुरी सब्जी/छोले भटूरे/पोहा/बेइई-कचौड़ी
2. ब्रेड-बटर और जैम, उबले अण्डे, कार्न फ्लैक्स और दूध
3. चाय/कॉफी

ग. लंच/डिनर:-

1. सादा-दाल, सब्जी, चावल, रोटी, रायता
2. पनीर/मलाई कोफता/चीज कोफता/मशरूम/राजमा/छोले
3. अचार, सलाद, पापड़
4. मिठाई/आईक्रीम

घ. स्पेशल लंच/डिनर:-

1. दाल (पीली दाल/दाल मखनी/राजमा/छोले/कड़ी/सोया बड़ी), सीजनल सब्जी (मिक्स वेज/शिमला मिर्च आलू) भरवा बैगन/गोभी आलू
2. पनीर (शाही पनीर/मटर पनीर/पालक पनीर) मशरूम/मलाई कोफता/मन्चूरियन/नॉन वेज (चिकन/मटन/फिश/अण्डा करी)
3. रोटी (नॉन/सादी रोटी/लच्छा पराठा/मिस्सी रोटी), चावल (फ्राइड राइस/जीरा राइस/पुलाव/सादा चावल)
4. सलाद, अचार, रायता (खीरा/फ्रूट/बूँदी)
5. मिठाई/ आईक्रीम

च. Intersessional Tea :-

सादा

1. चाय/कॉफी/कोल्ड ड्रिंक व दो बिस्कुट (थरमाकोल डिस्पोसेविल ग्लास 150 मि0ली0)

स्पेशल

1. पालक पकौड़ा/मिठाई/समौसा/नमकीन/चिप्स, चाय/कॉफी, बिस्कुट (मीठा और नमकीन)

छ. लंच पैकेट:-

1. 08 पूड़ी, सब्जी, अचार, 04 नग सलाद, नैपकीन
2. अतिरिक्त आईटम: एक मीठा

नोट:- उपरोक्त समस्त सामान अच्छी गुणवत्ता वाले गत्ते के डिब्बे में पैक होना अनिवार्य है। जिसमें पूरी एक पौली पैक में तथा सब्जी दूसरी पौलीपैक में रखना आवश्यक है।

ज. अतिरिक्त स्पेशल आईटम:-

1. वेजिटेबल पकौड़ा या पनीर पकौड़ा/कोर्न फ्लैक्स, दूध/उबले अंडे/दो अंडे का आमलेट/कटलेट
2. कॉफी/दूध

झ. अतिरिक्त स्पेशल आईटम:-

1. शाही पनीर की सब्जी/मलाई या चीज कोफता/छोले/राजमा/कढ़ी-पकौड़ी/दाल मखनी/मशरूम की सब्जी/मन्चूरियन/नान वेज (चिकन/मटन/फिश/अण्डा-करी)
3. रोटी (नान/लच्छा पराठा/मिस्सी रोटी)
4. चावल (फ्राइड राइस/जीरा राइस/पुलाव)
5. एक मिठाई (खीर/सिंवई) के अतिरिक्त अन्य मिठाई केवल ब्रजवासी/शंकर से

नोट- सीजनल सब्जी दो दिन के अंतराल पर ही पुनः परोसी जायेगी।

पानी आरओ का ही उपलब्ध कराया जायेगा।